



## वन विभाग, कार्यालय

## वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)

क्रमांक 1965

दिनांक 2/01/24

सेवा में

Executive Engineer,  
Saraswati Heritage Division No. 1'  
Jagadhari (Hry.)

विषय :- **Compensatory Afforestation (CA) Scheme in lieu of 31.72 Ha. Forest Land to be diverted for construction of Adi Badri Dam.**

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3651-55/I-W दिनांक 05-10-2023 तथा इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 09-10-2023 तथा 4735-37/I-W/ABD दिनांक 22-12-2023।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार के प्रख्यात प्रोजेक्ट हेतु एफ.सी.ए.-1980 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतु सिंचाई विभाग हरियाणा सरकार द्वारा फतेहाबाद जिला में गैर वन भूमि की पहचान की है, जो कि उक्त भूमि फतेहाबाद वन मण्डल की ज्युरिस्डीक्शन में आती है। अतः आपको लिखा जाता है कि सम्बन्धित भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण व रिकार्ड का अवलोकन पर पाया गया कि निम्न भूमि विवरण अनुसार भूमि स्थानांतरित की जाने योग्य पाई गयी है।


Sr. No.	C.A Site name	Murbba/Killa No.	Area (K-M)	Area (Marla)	Area (Ha.)
1	Bhurthali Open Land	120, 121, 122	155-5	3105	7.8534429
2	Babanpur Open Land	178	136-13	2733	6.9125473
3	Mehmra Open Land	158	77-9	1549	3.9178689
4	Bhunderwas Open Land	117	50-13	1013	2.5621699
5	Nangal Open Land	168	79-15	1595	4.034209996
6	Meyond Begamwali	92	79-19	1599	4.044327137
7	Damkora	68/2	47-08	948	2.39777
	<b>G.Total</b>		<b>627-02</b>	<b>12542</b>	<b>31.722336133</b>

इसके अतिरिक्त आपको लिखा जाता है कि उक्त भूमि पर मौका पर पौधारोपण मौजूद है व वनस्पति घनत्व काफी अधिक होने के कारण उक्त भूमि पर और अतिरिक्त पौधारोपण नहीं किया जा सकता है।

**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)


नोट :- आपको लिखा जाता है कि आप उक्त भूमि स्थानान्तरण करने उपरांत निशानदेही करवाकर रिकार्ड अनुसार भूमि का पूर्ण कब्जा देंगे।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
फतेहाबाद ।

पृ0 क्रमांक.....1966.....

दिनांक...3/01/24...

इसकी एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर को भेजकर सुचित किया जाता है कि उक्त भूमि पर वनस्पति घनत्व अधिक होने के कारण अतिरिक्त पौधारोपण नहीं किया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने वन मण्डल से प्रतिपुर्ति पौधारोपण हेतु डिग्रेडेड वन भूमि का चयन करके आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
फतेहाबाद ।